



रानी प्रकरण कमांक

- 1- (क)- तेरसिया बेवा रामरुद्र ब्राम्हण,
(ख)- उमेश कुमार,
(ग)- चन्द्रभूषण,
(घ)- सुन्दरलाल,
(ङ)- ज्ञानेन्द्र,
(च)- शालेन्द्र --- सभी के पिता रामरुद्र ब्राम्हण निवासी ग्राम देवगांव थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

R - 2697-III/14

- 2- छोटेलाल ब्राम्हण,
3- गजाधर प्रसाद,
4- रामकुमार,
5- शांती देवी,
6- सीता,
7- चुनकीवा, --- सभी के पिता स्व.रामसिया ब्राम्हण सभी निवासी ग्राम देवगांव थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
8- राजकुमार पिता भारत प्रसाद पाण्डेय स्व.माता सुन्दरिया देवी निवासी ग्राम प्रतापपुर जिला सतना म.प्र.

.....आवेदक गण/निगरानीकार

बनाम

- 1- दिनेश प्रसाद तिवारी तनय श्री रामभजन ब्राम्हण निवासी ग्राम देवगांव थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
2- श्रीमती सुशीला पुत्री रामभजन ब्राम्हण व पत्नी श्री शिवनारायण मिश्र निवासी ग्राम सकरजिमा थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
3- श्रीमती जुन्नी पुत्री रामभजन एवं पत्नी श्री कृष्णचन्द शुक्ला निवासी ग्राम कुसियरा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना शासन म.प्र.

.....गैर निगरानीकार/अनावेदक गण

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अपर कलेक्टर महोदय जिला रीवा म.प्र. के प्रकरण क. 612/अ 6/2004-05 आदेश दिनांक 28/6/14 एवं राजस्व प्रकरण कमांक 613/अ 6/2004-05 आदेश दिनांक 28/6/14 जिस आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरमौर के अपील प्रकरण क.194/अ 6/94-95 अंतरिम आदेश दिनांक 3/1/97 व अंतिम आदेश दिनांक 23/10/97 को पारित कर नामांतरण पंजी कमांक 3 आदेश दिनांक

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2697-III/14

जिला-रीवा

तेरसिया ब्रा0 वगैरः/दिनेश प्रसाद तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 612/अ-6/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	